286

निग०-4311/2018/अपील/भू०रा० 410

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, श्रृंखला न्यायालय रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 — प्रमाणित / विलोपित
5रु. कोर्ट फी COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — विलोपित
5रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 — प्रमाणित / विलोपित

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक–................/2018

मुद्रिका प्रसाद पटेल पिता स्व. श्री चित्रसेन पटेल उम्र 61 साल पेशा–व्यवसाय, निवासी ग्राम– बड़ागांव थाना अमिलिया तहसील सिहावल हाल निवासी ग्राम– कोटहा आजाद नगर गली नम्बर 1 सीधी, तहसील गोपद बनास जिला–सीधी (म0प्र0)

——————पुनरीक्षणकर्ता

अधि०श्री कामता प्र० गुप्ता द्वारा पेश। 12-7-18

बनाम

मध्यप्रदेश शासन जरिये राजस्व निरीक्षक नजूल, तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)

————उत्तरवादी

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नजूल अधिकारी सीधी के अपंजीकृत प्रकरण मुद्रिका प्रसाद पटेल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन जरिये राजस्व निरीक्षक में पारित आदेश दिनांक– 30.06.2018

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

अ– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक नजूल के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से अनैतिक मांग की गई थी जिस पर उसकी पूर्ति पुनरीक्षणकर्ता द्वारा नही की गई तब राजस्व निरीक्षक नजूल द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के 34–35 वर्ष पूर्व से स्थापित कब्जा को अवैध कब्जा बताया जाकर उक्त क्रय सुदा प्लाट में बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदन 01.08.2017 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर

(286)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग०-4311/२०-नि/2018 जिला सीधी

मुद्रिका प्रसाद पटेल विरूद्ध म०प्र० शासन

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री कामता प्र० गुप्ता अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जिला सीधी के यह निगरानी ...... में पारित प्रकरण क्रमांक अपंजीकृत आदेश दिनांक 30-06-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपद बनास के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर